न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—146 / 2020 (2020 / 00279) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—श्रवण आत्मज उदयराम गुजर निवासी जोरावरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. राजु नायक — प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—09.02.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जोरावरपुरा पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 576 / 554 रकबा 1.00 है0 भूमि अन्य आरायिजात के साथ खाता संख्या 64 पर दर्ज होकर स्थित है प्रमाण नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थी को उक्त आराजियात में संज, बैल, गाड़ी, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम जोरावरपुरा से ग्राम नाबरिया जाने वाली ग्रेवल सड़क के उत्तरी ओर स्थित बिलानाम आराजी संख्या 552 / 435 रकबा 6.01 है0 गै.मु. मंगरी से मे होते हुए प्रार्थी की आराजी में प्रविष्ट होते है तथा इसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन करता चला आ रहा है। बिलानाम आराजी के कुछ भाग पर मांगु आत्मज हीरा गुजर ने नाजायज कब्जा कर प्रार्थी के आवागमन के रास्ते को बंद कर दिया जिससे प्रार्थी फसल काश्त नही पा रहा है। प्रार्थी के आवागमन का यही एक मात्र रास्ता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है उक्त रास्ता मौके पर 15 फीट चौड़ाई में विद्यमान था। उक्त विद्यमान रास्ते को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 576 / 554 रकबा 1.00 है0 मे संज, बैल, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम जोरावरपुरा से ग्राम नाबरिया जाने वाली ग्रेवल सड़क के उत्तरी दिशा की ओर स्थित बिलानाम आराजी संख्या 552 / 435 की पश्चिमी दिशा की ओर 15 फीट चौड़ाई में रास्ते को राजस्व रेकार्ड बिलानाम गै.मु. रास्ता दर्ज करवाये जाने एवं नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जाकर व प्रतिकर की राशि निर्धारित करवा विपक्षी को दिलाई जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 19.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस [illegible] पालना में विपक्षी संख्या 1 फॉरमल पक्षकार होने से रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो शा[illegible] [illegible]ली की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार [illegible] ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि प्रार्थी [illegible] निवासी जो[illegible] के नाम आराजी संख्या 576 / 554 रकबा 1.00 है0 भूमि [illegible]कार्ड है। प्रार्थी उ[illegible]राजी पर आवागमन हेतु जोरावरपुरा से नाबरिया कच्चा रास्ता आराजी संख्या 436 रकबा 0.70 है0 गै.मु. रास्ता से होकर बिलानाम आराजी संख्या 552 / 435 रकबा 6.01 है0 किस्म मंगरी से आता

जाता है। आम रास्ता व प्रार्थी के आराजी के मध्य मौके पर रास्ता बना हुआ नही है। मौक पर बिलानाम आम रास्ता व प्रार्थी की आराजी के मध्य आराजी संख्या 551/435 रकबा 0.76 है0 प्राथमिक विद्यालय जोरावरपुरा का खेल मैदान स्थित है जिसमें खाई खोदकर छड़िया डाली हुई है जिसे प्रार्थी को आवागमन में असुविधा हो रही है। आराजी संख्या 551/435 के पूर्व में बिलानाम आराजी संख्या 552/435 रकबा 6.01 है0 में आवागमन के अलावा अन्य रास्ता मौजुद नही है। आराजी संख्या 424 में मौके पर नाड़ी बनी हुई है जो भराव क्षैत्र में आती है। वर्तमान में प्रार्थी बिलानाम रास्ता 436 से होकर बिलानाम आराजी संख्या 552/435 से होकर अपनी आराजी मे आ–जा रहा है जिसमे आराजी संख्या 424 में स्थित नाड़ी के भराव में कुछ हिस्सा आता है जिसे नाडी के पूर्ण भराव के समय आवागमन में समस्या है। प्रार्थी की आराजी संख्या 576/554 में आवागमन हेतु बिलानाम आम रास्ता 436 से लगाकर प्रार्थी की मेड़ तक बिलानाम आराजी संख्या 552/435 रकबा 6.01 है0 मे से रकबा 0.06 है0 की भूमि कीमत 31545 रूपये प्रति बीघा से 8760 रूपये बनती है जिसकी डीएलसी दर का दुगुना 17520 रूपये बनती है। वर्तमान रास्ते को बल्यु स्याही एवं प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रार्थी की आराजी में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक सुगम रास्ता उपलब्ध नही है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है और प्रार्थी वर्षो से प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन कर रहा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो सरकारी रास्ते से सीधा बिलानाम भूमि में होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जा रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है प्रार्थी नियमानुसार भूमि कीमत देने हेतु सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीाकर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जोरावरपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी सख्या 576/554 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 552/435 की पश्चिमी मेड़ के सहारे रकबा 0.06 हैक्टयर भूमि जिसकी डीएलसी दर 31545 रूपये प्रति बीघा से प्रस्तावित रास्ते की भूमि कीमत 8760 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 17520 रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:53 IST
Reason: SelfAttested

9.2.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—146 / 2020 (2020 / 00279) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—श्रवण आत्मज उदयराम गुजर निवासी जोरावरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जोरावरपुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी सख्या 576 / 554 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 552 / 435 की पश्चिमी मेड़ के सहारे रकबा 0.06 हैक्टयर भूमि जिसकी डीएलसी दर 31545 रूपये प्रति बीघा से प्रस्तावित रास्ते की भूमि कीमत 8760 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 17520 रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 09.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

9.2.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:53 IST
Reason: SelfAttested